



मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

प्रधान कार्यालय, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ

CIN: U31200UP2003SGC02745

पत्रांक -375 तकनीकी/मविविनिलि/ई-2

दिनांक 27/3/2020

विषय:-MNRE भारत सरकार के ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप फेज-2 योजना के अन्तर्गत प्राप्त सी0एफ0ए0 के वितरण हेतु लाभार्थी एवं फर्मों द्वारा संयंत्रों के 5 वर्ष के अनुरक्षण का अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

ई-मेल द्वारा समस्त सम्बन्धित अनुमोदित फर्म

शीर्ष प्राथमिकता

ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम फेज-2
यूपीनेडा, लखनऊ।

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5018/नेडा-एसई-सोलर रूफटॉप-फेज-2/2019, दिनांक-21.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत यूपीनेडा के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4809/नेडा-एसई-सोलर रूफटॉप-फेज-2/2019, दिनांक-20.12.2019 द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम फेज-2 के दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या-04 एवं 11 में संशोधन किया गया है, जो क्रमशः निम्नवत् होगा-

1. राज्यानुदान की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। लाभार्थी एवं फर्म द्वारा संयंत्रों के 5 वर्ष के अनुरक्षण का अनुबन्ध पत्र केन्द्रानुदान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. संयंत्रों की स्थापना का कार्य एमएनआरई/निविदा में वर्णित विशिष्टीकरणों के अनुरूप किया जायेगा, जिसमें मुख्य रूप से स्वदेशी सोलर सेल एवं पैनल का निर्मित होना अनिवार्य होगा। इनमें किसी प्रकार का विचलन होने पर केन्द्रीय अनुदान देय नहीं होगा। डिस्कॉम/यूपीनेडा द्वारा स्थापित संयंत्रों का बाद में भी तृतीय पक्ष से तकनीकी परीक्षण कराया जा सकता है जिसमें किसी प्रकार का मानकों से विचलन पाये जाने पर फर्मों को काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।

अतः स्थापित किये गये समस्त सोलर संयंत्रों के लाभार्थी एवं फर्म के मध्य 5 वर्ष के अनुरक्षण का अनुबन्ध पत्र डीएसएम सेल, मविविनिलि, लखनऊ को ई-मेल आई0डी0-chieftech.mvvn1@gmail.com के माध्यम से यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि केन्द्रानुदान ससमय वितरित किया जा सके।
संलग्नक -यथोपरि।

(आर0आर0 प्रसाद)
मुख्य अभियन्ता (तक0)

पत्रांक - तकनीकी/मविविनिलि/ई-2

दिनांक / /2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (तकनीकी), मविविनिलि, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(डी0एस0एम0), शक्तिभवन, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), मविविनिलि, लखनऊ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता(वि0), मविविनिलि, लखनऊ।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता(वि0), मविविनिलि, लखनऊ।

(आर0आर0 प्रसाद)
मुख्य अभियन्ता (तक0)



मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

प्रधान कार्यालय, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ

CIN: U31200UP2003SGC02745

पत्रांक - तकनीकी/मविविनिलि/ई-2 दिनांक / /2020

विषय:-MNRE भारत सरकार के ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप फेज-2 योजना के अन्तर्गत प्राप्त सी0एफ0ए0 के वितरण हेतु लाभार्थी एवं फर्मों द्वारा संयंत्रों के 5 वर्ष के अनुरक्षण का अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में।

ई-मेल द्वारा समस्त सम्बन्धित अनुमोदित फर्म

ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम फेज-2
यूपीनेडा, लखनऊ।

शीर्ष प्राथमिकता

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5018/नेडा-एसई-सोलर रूफटॉप-फेज-2/2019, दिनांक-21.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत यूपीनेडा के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4809/नेडा-एसई-सोलर रूफटॉप-फेज-2/2019, दिनांक-20.12.2019 द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम फेज-2 के दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या-04 एवं 11 में संशोधन किया गया है, जो क्रमशः निम्नवत् होगा-

1. राज्यानुदान की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। लाभार्थी एवं फर्म द्वारा संयंत्रों के 5 वर्ष के अनुरक्षण का अनुबन्ध पत्र केन्द्रानुदान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. संयंत्रों की स्थापना का कार्य एमएनआरई/निविदा में वर्णित विशिष्टीकरणों के अनुरूप किया जायेगा, जिसमें मुख्य रूप से स्वदेशी सोलर सेल एवं पैनल का निर्मित होना अनिवार्य होगा। इनमें किसी प्रकार का विचलन होने पर केन्द्रीय अनुदान देय नहीं होगा। डिस्कॉम/यूपीनेडा द्वारा स्थापित संयंत्रों का बाद में भी तृतीय पक्ष से तकनीकी परीक्षण कराया जा सकता है जिसमें किसी प्रकार का मानकों से विचलन पाये जाने पर फर्मों को काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।

अतः स्थापित किये गये समस्त सोलर संयंत्रों के लाभार्थी एवं फर्म के मध्य 5 वर्ष के अनुरक्षण का अनुबन्ध पत्र डीएसएम सेल, मविविनिलि, लखनऊ को ई-मेल आई0डी0-chieftech.mvvn1@gmail.com के माध्यम से यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि केन्द्रानुदान ससमय वितरित किया जा सके।
संलग्नक -यथोपरि।

(आर0आर0 प्रसाद)

मुख्य अभियन्ता (तक0)

दिनांक 27/3/2020

पत्रांक -375 तकनीकी/मविविनिलि/ई-2

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (तकनीकी), मविविनिलि, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता(डी0एस0एम0), शक्तिभवन, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), मविविनिलि, लखनऊ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता(वि0), मविविनिलि, लखनऊ।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता(वि0), मविविनिलि, लखनऊ।

(आर0आर0 प्रसाद)

मुख्य अभियन्ता (तक0)

सं: 5018 / नेडा-एसई-सोलर रूफटाप-फेज-2/2019
उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

कार्यालय ज्ञाप

यूपीनेडा के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4809/नेडा-एसई-रूफटाप फेज-2/2019 दिनांक 20.12.2019 द्वारा ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटाप कार्यक्रम फेज-2 के दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। राज्यानुदान जिसकी व्यवस्था सौर ऊर्जा नीति, 2017 के अन्तर्गत की गई है, के परिपेक्ष्य में उक्त दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या-4 एवं बिन्दु संख्या-11 में निम्नवत संशोधन किये जाते हैं:-

संशोधन उपरान्त बिन्दु संख्या-4 निम्नवत होगा:

राज्यानुदान की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। लाभार्थी एवं फर्मों द्वारा संयंत्रों के 5 वर्ष के अनुरक्षण का अनुबंध पत्र केन्द्रानुदान हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संशोधन उपरान्त बिन्दु संख्या-11 निम्नवत होगा:

संयंत्रों की स्थापना का कार्य एमएनआरई/निविदा में वर्णित विशिष्टीकरणों के अनुरूप किया जायेगा। जिसमें मुख्य रूप से स्वदेशी सोलर सेल एवं पैनल का निर्मित होना अनिवार्य होगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन होना पर केन्द्रीय अनुदान देय नहीं होगा। डिस्कॉम/यूपीनेडा द्वारा योजनान्तर्गत स्थापित संयंत्रों का बाद में भी तृतीय पक्ष से तकनीकी परीक्षण कराया जा सकता है जिसमें किसी प्रकार का मानकों से विचलन पाये जाने पर फर्मों को काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
दिशा निर्देश के शेष बिन्दु पूर्ववत रहेंगे।

(अनिल कुमार)

सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी,
यूपीनेडा।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/कैस्को/एनपीईएल /टोरेंट पावर विद्युत वितरण निगम लि0।
3. समस्त संबंधित अनुमोदित फर्में।

(अनिल कुमार)

सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी,
यूपीनेडा।